• सिरमौर में...

सड़कों के ब्लैक स्पॉट होंगे ठीक, 2.81 करोड़ का प्रारूप तैयार

नाहन : सिरमौर जिला की विभिन्न सड़कों पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट को ठीक करने के लिए 2.81 करोड़ रुपये का प्रारूप बनाया गया है, जिसे स्वीकृति के लिए परिवहन विभाग को भेजा जाएगा। नाहन में रोड़ सेफ्टी समिति की जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीसी सुमित खिमटा ने कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस और लोक निर्माण विभाग ने जिला की विभिन्न सड़कों के ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए इन ब्लैक स्पॉट को ठीक किया जाना अत्यंत आवश्यक है। खिमटा ने कहा सिरमौर जिला में पिछले काफी समय से सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है, जिसमें जान और माल का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जहां चालकों को जागरूक किया जाए, वहीं यातायात को सुचारू बनाने के लिए मुख्य सड़कों, संपर्क मार्गों आदि सड़कों का ठीक होना भी जरूरी है। सिरमौर जिला का अधिकाशं भू-भाग पहाड़ी क्षेत्र है। जिला के विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा स्थानीय लोग भी इन सड़कों के माध्यम से अपने-अपने गंतव्यों तक पहुंचते हैं, ऐसे में सड़कों के रखरखाव पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। उपायुक्त ने नाहन शहर में यातायात को सुचारू बनाने के निर्देश भी पुलिस, लोक निर्माण विभाग और नगर परिषद को दिए। कहा, नाहन शहर की प्रमुख सड़क का मुख्य भाग लोक निर्माण और राष्ट्रीय उच्च मार्ग तथा कुछ भाग नगर परिषद के पास है। उन्होंने तीनों विभागों को आपसी तालमेल से नाहन शहर में यातायात को सुचारू बनाने के लिय ठोस उपाये करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नाहन शहर के संभावित दुर्घटना वाले स्थलों को चिन्हित करके यहां पर सूचना बोर्ड लगाना सुनिश्चित बनाया जाए। इसी प्रकार शहर की सड़कों में यातायात संबंधी चेतावनी बोर्ड, नो पार्किंग बोर्ड और अन्य साइन भी लगाए जाएं, ताकि पैदल चलने वाले राहगीर भी सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच सकें। सुमित खिमटा ने सभी संबंधित अधिकारियों को गत 2 मार्च को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों की एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता आलोक जनवेजा ने विस्तार से रोड़ सेफ्टी के संबंध में किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश रोल्टा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. अजय पाठक, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद संजय तोमर, राष्ट्रीय उच्च मार्ग के सहायक अभियंता अभय, सहित रोड सेफ्टी समिति के अन्य सरकारी सदस्य भी मौजूद रहे।

• कोर्ट में...

सुनवाई 30 अप्रैल के लिए टली...

शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट में निर्दलीय विधायकों के इस्तीफों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई 30 अप्रैल के लिए टल गई। तीन निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफे मंजूर न करने और उन्हें स्पीकर द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने के खिलाफ याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। इस मामले में प्रार्थियों की ओर से बहस पूरी होने के बाद कुछ समय के लिए स्पीकर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले पर विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। उन्होंने मामले पर अपनी ओर से अगली बहस के लिए सुनवाई 30 अप्रैल दोपहर बाद सवा चार बजे निर्धारित करने का आग्रह किया जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकारते हुए सुनवाई 30 अप्रैल के लिए रखी गई। निर्दलीय विधायकों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में उन्होंने खुद जाकर स्पीकर के समक्ष इस्तीफे दिए, राज्यपाल को इस्तीफे की प्रतिलिपियां सौंपी, विधानसभा के बाहर इस्तीफे मंजूर न करने को लेकर धरने दिए और हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया तो उन पर दबाव में आकर इस्तीफे देने का प्रश्न उठाना किसी भी तरह से तार्किक नहीं लगता और इसलिए इससे बढ़कर उनकी स्वतंत्र इच्छा से बड़ा क्या सबूत हो सकता है। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थीयों को इस्तीफे का कारण बताने को बाध्य नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं किसी विधायक को कानून के तहत इस्तीफे का कारण देने की मनाही है। निर्दलीय विधायकों की ओर से उन्हें स्पीकर द्वारा जारी किए कारण बताओ नोटिस का हवाला देते हुए कहा गया कि स्पीकर ने भी उनके इस्तीफे की बात स्वीकार की है। फिर भी उनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा रहे हैं। प्रार्थियों का कहना है कि उनके इस्तीफे मंजूर न करने की दुर्भावना स्पीकर के जवाब से जाहिर है जिसके तहत उन पर दबाव में आकर राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने के गलत आरोप लगाए गए हैं। प्रार्थियों का कहना था कि यदि स्पीकर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए उनके इस्तीफे मंजूर नहीं करता तो हाईकोर्ट के पास यह शक्तियां हैं कि वह जरूरी आदेश पारित कर उनके इस्तीफों को मंजूरी दे।

स्पीकर की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अदालत स्पीकर को उन्हें संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने से नहीं रोक सकती जिसके तहत स्पीकर को इस्तीफे के कारणों की जांच का अधिकार दिया गया है। निर्दलीय विधायकों पर दबाव को दर्शाते हुए कहा गया कि राज्यसभा चुनाव के बाद ये निर्दलीय विधायक सीआरपीएफ की सुरक्षा में प्रदेश से बाहर रहे और इसी सुरक्षा में आकर अपने इस्तीफे सौंपे। बहस पूरी न होने पर आगामी सुनवाई मंगलवार को निर्धारित की गई है।

निर्दलीय विधायकों को निष्कासित करने को विधानसभा सचिवालय में याचिका दायर

❖ निर्दलियों ने क्यों त्यागपत्र दिया, उसकी पूरी जानकारी न्यायालय के समक्ष रखनी चाहिए : जनारथा

● संजू/शिमला

तीन निर्दलीय विधायकों को निष्कासित करने की मांग को लेकर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधानसभा सचिवालय में याचिका दायर की है। नेगी ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के समक्ष याचिका दायर करते हुए निर्दलियों के खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई मांगी है। गुरुवार को राजीव भवन शिमला में आयोजित प्रेसवार्ता में राजस्व एवं बागवानी मंत्री ने कहा कि इस्तीफा स्वीकार होने से पहले निर्दलीय किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकते थे। तीनों पर बीजेपी का भारी दबाव है। इसी दबाव के चलते उन्होंने त्यागपत्र दिए हैं। उनके त्यागपत्र अभी भी अध्यक्ष के पास लंबित हैं। विधानसभा अध्यक्ष के पास यह शक्ति है कि वह किसी के भी त्यागपत्र की पूरी जांच करें कि क्या वह स्वेच्छा से दिया गया है या किसी दबाव में। उनके पास त्यागपत्र स्वीकार या अस्वीकार करने का भी पूरा अधिकार है। निर्दलियों को जिस प्रकार से केंद्र की भाजपा सरकार ने सुरक्षा दे रखी थी, उससे भी साफ है कि उन पर कोई दबाव है। यह पहला मामला है जहां निर्दलियों ने इस्तीफे दिए हो और उन्हें स्वीकार करवाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं। प्रदेश में भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की है। कांग्रेस के छह बागी नेता अब दागी के नाम से जाने जाएंगे।

● विधायक जनारथा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखा पक्ष

शिमला शहर के विधायक हरीश जनारथा ने बताया कि उन्होंने प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने निर्दलियों की याचिका पर कोई फैसला देने से पूर्व उन्हें भी सुनने की मांग रखी है। निर्दलियों ने जिस दबाव में अपना त्यागपत्र दिया है उन्हें इसकी जानकारी पूरे तथ्यों के साथ न्यायालय के समक्ष पेश होकर रखनी चाहिए। जनारथा ने कहा कि भाजपा ने एक सोची समझी रणनीति के तहत प्रदेश की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की है। भाजपा ने प्रदेश में जनमत का अपमान कर लोकतंत्र की हत्या करने की जो कोशिश की है वह निंदनीय है।

● अज्ञानी और मूर्ख प्रत्याशी के प्रचार में जुटे हैं जयराम

जगत सिंह नेगी ने कहा है कि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर की दशा खराब हो गई है। नेता विपक्ष अज्ञानी और मूर्ख प्रत्याशी के प्रचार में जुटे हैं। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा ने ऐसे प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है, जो वर्ष 2014 में देश आजाद होने के बयान दे रहा है। ऐसे बयानों से बच्चों के सामान्य ज्ञान पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। चुनाव आयोग को इस बाबत संज्ञान लेना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस का हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ अज्ञानी लोग इनको लेकर गलत बयान दे रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के बयान पर पलटवार करते हुए नेगी ने कहा कि जिन्ना के साथ सावरकर और भाजपा नेताओं की आत्मा थी।

जिन्ना आजादी से पहले देश के नेता थे, उस समय प्रांतीय सरकारों में भाजपा के नेता भी जिन्ना के साथ थे। नेगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं पर झूठ के खजाने खत्म होने पर अब धर्म की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। कहा कि कांग्रेस के छह न्याय और 25 गारंटियों से भाजपा हतोत्साहित है। कांग्रेस के घोषणापत्र से भाजपा छटपटाहट में है। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि सरकार देश में लोगों की जमीनों पर कब्जा करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भूमिहीनों को जमीन देने का जो वादा किया है, वह सरकारी जमीन का है। देश मे लैंड सीलिंग एक्ट है और इसी आधार पर अगर किसी के पास तय सीमा से ज्यादा भूमि हो तो उसे सरकार अधिग्रहण करती है। नेगी ने कहा कि भाजपा मुद्दों पर कोई बात नही करती।

विधानसभा अध्यक्ष के पास यह शक्ति है कि वह किसी के भी त्यागपत्र की पूरी जांच करें कि क्या वह स्वेच्छा से दिया गया है या किसी दबाव में।

उनके पास त्यागपत्र स्वीकार या अस्वीकार करने का भी पूरा अधिकार है। निर्दलियों को जिस प्रकार से केंद्र की भाजपा सरकार ने सुरक्षा दे रखी थी, उससे भी साफ है कि उन पर कोई दबाव है...

• कार्रवाई...

कमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त

सोलन : कुछ समय से बाहरी राज्यों से कमर्शियल गैस लाकर कुछ लोगों द्वारा अवैध तरीके से हिमाचल में बेची जा रही थी जिसको लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग सोलन ने कड़ी कार्रवाई की है और गाड़ी समेत कुल 65 कमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त कर लिए है और इसको लेकर उन्होंने पुलिस में मामला भी दर्ज करवा दिया है, फिलहाल सोलन पुलिस मामले की जांच कर रही है। खाद्य आपूर्ति विभाग सोलन जिला के नियंत्रक नरेंद्र धीमान ने बताया कि कुछ दिनों से गैस एजेंसी को लेकर उनके पास कंप्लेंट आ रही थी कि बाहरी राज्यों से कुछ लोग अवैध रूप से गैस लेकर आ रहे हैं और यहां पर बेच रहे हैं। बीते कल भी लालडू गैस प्लांट से भारत गैस का एक ट्रक कमर्शियल गैस सिलेंडर लेकर राजपुरा पटियाला के लिए निकला था लेकिन वह गैस गोदाम में ना उतर कर सिलेंडर को हिमाचल के शोघी में उतार रहे थे, जिसे अवैध तरीके से यहां पर बेचा जा रहा था। नरेंद्र धीमान ने बताया कि फिलहाल पुलिस को इस बारे में शिकायत दी गई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी जांच की जा रही है।

• बस और कार की टक्कर...

ऊना के धुसाड़ा में एचआरटीसी की चंबा हरिद्वार रूट की बस से भिड़ंत में 41 साल के कार चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान विनोद कुमार पुत्र बंसी लाल निवासी वार्ड नंबर 2 टकारला के रूप में हुई है। अंब ऊना मार्ग पर धुसाड़ा में दुर्घटना उस समय घटी जब एक सफेद रंग की टाटा पंच कार ने गलत दिशा में जाकर सामने से आ रही चंबा हरिद्वार रूट की एचआरटीसी बस को टक्कर मार दी।बस में सवार अन्य चालक जोगिंदर सिंह पुत्र हरिचंद निवासी फतेहपुर गंभीर रूप से घायल हो गए।